126

Ef- Rs 15/-2

न्यायालय : राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2000 पुनरीक्षण

R 2254 III / 2000

श्री एस. आर. मुद्गल अभि. द्वारा आज दि० 27-11-2000 को प्रस्तुत। अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर 27 NOV 2000

(1) बैजनाथ
(2) रामदीन
(3) सोनेराम
(4) मनीराम

पुत्रगण- श्री बंशी जाटव

समस्त जाति- जाटव

निवासी- ग्राम- ब्रम्हबाजना

तहसील- कैलारस जिला- मुरैना (म0प्र0)

---- पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

(1) भरोसी
(2) मुरारी
(3) करना

पुत्रगण- श्री चैऊ जाटव

समस्त जाति- जाटव

निवासी- ग्राम- ब्रम्हबाजना

तहसील- कैलारस जिला-मुरैना (म0प्र0)

---- प्रत्यर्थीगण

न्यायालय : आयुक्त महोदय, चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक-35/99-2000/ अपील में पारित आदेश दिनांक 14-11-2000 से व्यथित होकर उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 सहपठित धारा-32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959.

माननीय महोदय,

--:: प्रकरण के तथ्य ::--

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है :-

XIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2254-दो/2000 जिला मुरैना

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.7.16	यह निगरानी आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 35/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-11-2000 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर तथा अनावेदक कमांक 1 से 3 के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव के तर्क सुने गये तथा आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 35/99-2000 अपील का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम ब्रह्मवाजना की भूमि सर्वे कमांक 765 रकबा 0.91 आरे का भूमिस्वामी चेउॅ जाटव था, जिसकी मृत्यु उपरांत नामान्तरण कार्यवाही तहसील न्यायालय में प्रचलित हुई एंव आवेदक एंव अनावेदकगण व्दारा उनके हित में की गई बसीयतें प्रस्तुत की गई। तहसीलदार कैलारस ने प्रकरण कमांक 14/97-98 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 8-2-99 से मृतक चेउॅ के स्थान पर उसके पुत्रगण (अनावेदकगण) के हित की बसीयत प्रमाणित होने के आधार पर नामान्तरण किया है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी,	

सवलगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 4/98–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–10–99 से अपील निरस्त कर तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–2–99 को स्थिर रखा है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण व्दारा आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 35/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–11–2000 अपील अस्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत् रखे हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में आये निष्कर्षों के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब मृतक चेउॅ के रक्तज पुत्र मौजूद हैं तब मृतक चेउॅ अपने भाई के पुत्रों को बसीयत किस आधार पर और क्यों करेगा ? प्रकरण में आये तथ्यों से समाधान नहीं हुआ है और आवेदकगण के अभिभाषक भी इसका समाधान नहीं करा सके हैं।

4/ जहॉ तक आवेदकगण के हित में मृतक चेउॅ व्दारा की गई बसीयत का प्रश्न है ? यह बसीयत 2–1–98 की है । अनावेदक (मृतक चेउॅ के पुत्रगण) के हित में किया गया पंजीकृत बसीयतनामा दिनांक 24–12–97 का है। जब मृतक चेउॅ व्दारा पुत्रगण के हित में 24–12–97 को बसीयतनामा पंजीकृत करवा दिया गया तब आवेदकगण (भाई के पुत्रगण) के हित में मृतक चेउॅ अपंजीकृत बसीयतनामा क्यों लिखेगा/लिखवायेगा – संदेह को जन्म देता है । अतएव तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा उक्त सम्बन्ध में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में ऐसे आदेशों में

XIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2254–दो/2000 जिला मुरैना

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 35/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–11–2000 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है। सदस्य	